आदेश

मिशन निदेशक महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के आदेश पत्र संख्या 5/693/2022–5/67/18/वित्तीय वर्ष 2023–24 लखनऊ दिनांक 19 मई, 2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्राम बनाये जाने हेतु चयनित ग्राम पंचायतों को केडिट लिमिट जारी कर दी गई है। शासनादेश संख्या–4157/33–3–2022 दिनॉक 24 नवम्बर 2022 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में उक्त चयनित ग्रामों/ग्राम पंचायतों के स्वच्छता प्लान का प्रस्तुतीकरण ग्राम के प्रधान, सचिव, पंचायत सहायक एवं सफाई कर्मी द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया जा चुका है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 में मात्राकृत (70 प्रतिशत) धनराशि स्टेट बैंक आफ इण्डिया, जवाहर भवन, लखनऊ से लिंक्ड जनपद के Subsidiary A/c SSBM G - ZILA SWACHHTA MISSION BIJNOR के खाता संख्या–40366749239 से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को केडिट लिमिट जारी कर दी गयी है।

निर्गत धनराशि का व्यय किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश–

मिशन कार्यालय के पत्र संख्या–5/498/10/23–24 दिनॉक 19 अप्रैल 2023 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु चयनित ग्रामों की कार्ययोजना तैयार करने एवं लिमिट निर्धारण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्नलिखित मुख्य अपेक्षाएं की गयी है:–

1. चयनित सभी ग्रामों की योजना नियमानुसार तैयार कराते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित कराते हुए ई–ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से फीड कराया जाना है।
2. ग्राम स्वच्छता कार्ययोजना का अनुमोदन ग्राम सभा/ग्राम पंचायत में कराया जाना है।
3. ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित कार्ययोजना का नियमानुसार परीक्षण एवं संकलन/संरक्षण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0) का होगा एवं तैयार कार्ययोजना एवं मॉग में किसी भी प्रकार के विरोधाभास की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0) की होगी। इसके अतिरिक्त कार्ययोजना की प्रति ग्राम पंचायत की कार्यवाही सहित, ग्राम पंचायत, विकास खण्ड, जनपद एवं मण्डल पर सुरक्षित रखी जायेगी।
4. ग्राम पंचायतें सम्बन्धित ग्रामों को ओ0डी0एफ0 प्लस करने के लिये शासनादेश संख्या–735/33–3–2022–116/2020 दिनॉक 10 मई 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. योजना में नियोजित कार्यो की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 शासन निर्धारित व्यवस्था शासनादेश संख्या–2350/33–3–2021–2257/2021 दिनॉक 16.12.2021 के अनुरूप प्रस्तर वार प्राप्त किया जायेगा।
6. ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किये गये ग्रामों के स्वच्छता प्लान अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में सम्मिलित करते हुये ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर फीड किया जायेगा।
7. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सभी कार्य स्थलों/लाभार्थियों का अनुमोदन ग्राम सभी की बैठक में भी कर लिया जाये।
8. ई–रिक्शा क्रय से पूर्व GeM Portal से प्राप्त दर की तुलनात्मक समीक्षा कर न्यूनतम दर पर ही ई–टेण्डर/राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कर ही ई–रिक्शा कय किया जाये।

कार्ययोजना के अनुरूप किये जाने वाले कार्यो की वित्तीय अनुमन्य योजना

क्रं0 सं0	कार्य का नाम	70 प्रतिशत एस0बी0एम0 से अनुमन्य	30 प्रतिशत एफ0एफ0सी0 से अनुमन्य	अतिरिक्त एफ0एफ0सी0 से अनुमन्य	मनरेगा से अनुमन्य
1	व्यक्तिगत खाद गढ्ढा, व्यक्तिगत नाडेप ,व्यक्तिगत वर्मी	नही	नही	हॉ	हॉ
2	सामुदायिक खाद गढ्ढा,नाडेप,	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
	सामुदायिक वर्मी खाद गढ्ढा	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
3	संस्थागत कचरा पात्र	नही	नही	हॉ	
4	प्लास्टिक बैंक	नही	नही	हॉ	
5	कचरा वाहन	हॉ	हॉ	हॉ	
6	स्वछता किट	नही	नही	हॉ	
7	आर0आर0सी0	हॉ	हॉ	हॉ	
8	इन्सिनरेटर	नही	हॉ	हॉ	
9	व्यक्तिगत सोकपिटट	नही	नही	हॉ	हॉ

9	व्यक्तिगत सोकपिटट	नही	नही	हॉ	हॉ
10	सामुदायिक स्थलों/सरकारी हैण्डपम्पों पर सोकपिट	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
11	सील्ट कैचर	नही	नही	हॉ	हॉ
12	फिल्टर चैम्बर	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
13	वेस्ट स्टेब्लाइजेशन पॉण्ड	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
14	यू0 टाइप नाली	नही	नही	हॉ	हॉ
15	हैण्डपम्प प्लेटफार्म मरम्मत	नही	नही	हॉ	हॉ
16	स्टार्म वाटर निष्पादन	नही	नही	हॉ	
17	किचन गार्डन	नही	नही	हॉ	हॉ
18	सेप्टिक टैंक हेतु व्यक्तिगत लीच पिट	नही	नही	हॉ	हॉ
19	सेप्टिक टैंक हेतु सामुदायिक लीच पिट	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
	फिल्टर चैम्बर को यथावश्यक ड्रेनेज के अन्त में ग्रे–वाटर मेनेजमेन्ट गतिविधि के लिए या डब्लू एस पी/डिवाटस् निर्मित कराया गया हो वहॉ उसकी प्रोजेक्ट कास्ट में जोड लिया जाये।				

उक्त के लिए आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त चिन्हित ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) धनराशि, 15वें वित्त की टाईड धनराशि, राज्य वित एवं मनरेगा योजनान्तर्गत निर्धारित व्यय मदों पर ही व्यय की जाये। ध्यान रहे इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही/उदासीनता न बरती जाये यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही/उदासीनता परिलक्षित होती है तो सम्बन्धित के विरूद्व कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज–2 के अन्तर्गत जारी गाईड लाईन के अनुरूप चयनित ग्रामों को ओ0डी0एफ0 प्लस बनाये जाने का निम्नवत: लक्ष्य निर्धारित किया गया है :–

1.ओ0डी0एफ0 की स्थिति बनायें रखना। **2.ठोस अपशिष्ट का उचित प्रबन्धन।**

3.तरल अपशिष्ट का उचित प्रबन्धन। **4.ग्रामीण क्षेत्र में दृश्यमान स्वच्छता।**

चयनित ग्रामों में कार्ययोजना के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक कार्य को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम लेखपाल, पंचायत सहायक, मुख्य अध्यापक, ए0एन0एम0, आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सफाई कर्मी की समिति गठित करते हुए, ग्राम पंचायत को ओ0डी0एफ0 प्लस बनाये जाने हेतु उनका दायित्व निर्धारित किया जाता है। समुदाय के व्यवहार परिवर्तन करने हेतु सप्ताह में कम से कम एक बार प्रचार–प्रसार अभियान चलायेगें तथा प्रत्येक सप्ताह बैठक कर निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा कर जिला पंचायत राज अधिकारी एवं सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करायेगें।

ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्राम बनाये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्या 630/सात–पं0/स्व0मा0मि0ग्रा0/2022–23 दिनांक 08 जून, 2023 के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान, लेखपाल, पंचायत सहायक, सफाई कर्मी, कोटेदार, आशा कृर्षि सखी, शिक्षा मित्र, युवक मंगल दल के सदस्य, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकत्री केयर टेकर सामुदायिक शौचालय एवं NRLM. समूह सखी की एक निगरानी समिति गठित की गयी है। चयनित ग्रामों में कार्यो की ओ0डी0एफ0 प्लस बनाये जाने हेतु निम्नलिखित रूप से दायित्व निर्धारित किया गया है:–

चयनित ग्रामों के समस्त स्टेक होल्डर/गठित समिति के दायित्व:–

गॉव में मॉर्निंग एवं इवनिंग फालोअप की गतिविधियों आयोजित की जायेगीं। इस दौरान गॉव में **"विशेष स्वच्छता श्रमदान दिवस"** का आयोजन किया जायेगा, जिसमें ग्राम पंचायत में उपलब्ध सफाई कर्मियों, मनरेगा श्रमिकों तथा आम जन को हिस्सेदारी देते हुए स्वच्छता का कार्य कराया जायेगा। गॉव में खुले में शौच मुक्त ग्रामों में **"गौरव यात्रा"** का आयोजन किया जायेगा, जिसमें समस्त ग्रामवासी तथा मा0 जनप्रतिनिधिगणों को सम्मिलित किया जायेगा। जिसमें खुले में शौच मुक्त ग्राम की स्थिरता पर परिचर्चा की जायेगी तथा **O.D.F. Plus** के सम्बन्ध में यथा ठोस, द्रव एवं अवशिष्ट प्रबन्धन, मासिक धर्म प्रबन्धन आदि पर रणनीति बनायी जाये। इस दिवस को ग्राम पंचायत में 2 गड्ढों के टवीन लिच पिट शौचालयों के उपयोग के सम्बन्ध में विस्तृत प्रकाश डाला जायेगा तथा पूर्व में निर्मित सेपटी टैंक शौचालयों वाले परिवारों को लीच पिट शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया जायेगा। ग्राम में मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा धार्मिक प्रतिनिधियों के माध्यम से खुले में शौच न जाने तथा स्वच्छता अपनाने की अपील की जायेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर **"वृहद्ध स्वच्छता शपथ"** दिलायी जायेगी। ग्राम स्तर पर पूर्व में गठित निगरानी समितियों को इस दौरान **Rearrange** किया जायेगा तथा स्वच्छ भारत मिशन में अच्छा काम करने वाले ग्रामीण स्वच्छाग्रहियों तथा निगरानी समिति के सदस्यों को सम्मानित किया जाये। उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य कराये जाने हेतु निम्नलिखित के दायित्व निर्धारित किये जाते है :–

ग्राम प्रधान के दायित्वः–

- ग्रामीणों के साथ ग्राम स्वच्छता कार्ययोजना पर चर्चा करना।
- निर्माण कार्य हेतु प्रशिक्षित राज मिस्त्रियों की व्यवस्था करना।
- निर्माणाधीन कार्यो का अनुश्रवण एवं गुणवत्तापरक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- घरेलू स्तर पर कचरे के पृथक्करण हेतु निगरानी समितियों के साथ ग्राम भ्रमण एवं बैठके आयोजित करना।
- ग्रामवासियों के साथ चर्चा कर ग्राम को ओ०डी०एफ० प्लस की शपथ दिलाना।
- ओ०डी०एफ० प्लस घोषित करने हेतु ग्राम सभा का प्रस्ताव तैयार कराना।
- ग्राम पंचायत में उपलब्ध सफाई कर्मियों, मनरेगा श्रमिकों तथा आम जन को हिस्सेदारी देते हुए स्वच्छता श्रमदान का कार्य कराया जायेगा।
- ग्राम पंचायतों में स्थित प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों द्वारा रैलियाँ निकाली जाये तथा समस्त स्टेकहोल्डर द्वारा डोर–टू–डोर मोबलाइजेशन कैम्पेन चलाया जाये।

ग्राम पंचायत सचिव के दायित्वः–

- ओ०डी०एफ० प्लस कार्ययोजना को जी०पी०डी०पी० की बैवसाइट पर अपलोड करना।
- निर्माण कार्यो हेतु उपलब्ध मॉडल स्टीमेट के अनुसार स्टीमेट बनवाना।
- **निर्माण कार्यों में से मनरेगा योजना को युगपित करते हुये किये जाने वाले कार्यो के अनुसार स्टीमेट बनवाना एवं सक्षम स्तर से स्वीकृत कराते हुये कार्य कराना।**
- **व्यक्तिगत निर्माण कार्यो को मनरेगा योजनान्तर्गत स्टीमेट बनवाना एवं सक्षम स्तर से स्वीकृत कराते हुये कार्य कराना।**
- निर्माण कार्यो हेतु स्वीकृति हेतु पत्रावली तैयार कराना, सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करना एवं पंचायत सचिवालय पर पत्रावलियों को सुरक्षित रखना।
- निर्माण कार्यो, जन समुदाय के व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रचार–प्रसार की गतिविधियां एवं अन्य आवश्यक गतिविधियों का कियान्वयन कराना।
- प्रत्येक स्तर पर निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण एवं सफाई हेतु ग्राम का रुट मैप तैयार करना।

मुख्य अध्यापक, पंचायत सहायक, आशा, आंगनबाडी के दायित्वः–

- जी०पी०डी०पी० कार्ययोजना अपलोड कराने में सहयोग करना।
- निर्माण कार्यों का दैनिक अनुश्रवण करना।
- घर–घर संपर्क कर घरेलू स्तर पर सूखे एवं गीले कूड़े की पृथक्करण की जानकारी देना।
- स्कूल/आगनबाड़ी केन्द्र में बैठके कर बच्चों को ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रति जागरूक करना।
- ग्रामीणों एवं निगरानी समितियों के साथ बैठक कर ठोस एवं तरल अपशिष्ट के घरेलू स्तर पर निस्तारण की जानकारी प्रदान करना।
- **ग्राम में ओ०डी०एफ० की स्थिरता बनाये रखने हेतु ग्राम में शौचालय के प्रयोग के लिये "हर कोई, हर रोज, हमेशा" की थीम पर ग्रामवासियों के व्यवहार परिवर्तन हेतु जन–जागरूकता अभियान चलाना।**
- बच्चे परिवर्तन के सबसे बडे कारक होते है, इसलिये उन्हें स्कूल स्तर एवं ग्राम स्तर पर चलाये जा रहे प्रचार–प्रसार अभियान में उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराना।

सफाईकर्मी के दायित्वः–

- ग्राम के सभी सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित कूड़े का डोर टू डोर संग्रहण करना।
- नियमित रूप से नालियों एवं हैण्डपम्प/पेयजल के स्थलों की सफाई करना।
- सभी स्कूल, आंगनबाड़ी एवं पंचायत भवनों पर उत्सर्जित कूड़े का एकत्रीकरण।

कन्सलटिंग इन्जीनियर के दायित्वः–

- निर्माण कार्यो हेतु उपलब्ध मॉडल स्टीमेट के अनुसार स्टीमेट बनवाना।
- निर्माण कार्यो की समय से एम०बी० कर उपलब्ध कराना।
- निर्माण कार्यों का दैनिक अनुश्रवण करना।

- तकनीकि उत्कृष्टता के साथ निर्माण कार्य कराना।
- निरन्तर भ्रमण कर निर्माण कार्यों के फोटो ग्राफ एवं निर्माण की गुणवत्ता के विषय में सहायक विकास अधिकारी (पं0) एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को अवगत कराना।

खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पं0) के दायित्वः–

- प्रत्येक सप्ताह विकास खण्ड स्तर पर अपनी अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर चयनित ग्रामों के समस्त स्टेकहोल्डर/गठित समिति के साथ समीक्षा करेगें।
- प्रत्येक सप्ताह में अपने विकास खण्ड के चयनित ग्रामों का रैण्डम आधार पर स्थलीय भ्रमण कर निर्माण कार्यो की प्रगति, गुणवत्ता व जनसहभागिता सुनिश्चित करायेंगें।
- **व्यक्तिगत निर्माण कार्यो को मनरेगा योजनान्तर्गत स्टीमेट बनवाना एवं सक्षम स्तर से स्वीकृत कराते हुये कार्य कराना।**
- **निर्माण कार्यो में अनिवार्य रूप से मनरेगा योजना को युगपित करते हुये किये जाने वाले कार्यो के अनुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत स्तर से स्टीमेट बनवाना एवं निर्माण कार्यो की स्वीकृति प्रदान करते हुये उनका निरन्तर अनुश्रवण एवं मुल्यांकन करना।**
- प्रत्येक ग्राम में पाक्षिक रूप से व्यवहार परिवर्तन हेतु जन–जागरूकता अभियान का आयोजन कराना।
- विकास खण्ड स्तर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाये, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सबसे अच्छा कार्य करने वाले ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, लेखपाल, पंचायत सहायक, सफाईकर्मी, आशा आंगबाडी, नेचुरल लीडर, निगरानी समिति आदि के सदस्यों को सम्मानित किया जाये। कार्यक्रम में क्षेत्र के मा0 विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा ससम्मान बुलाया जायेगा तथा उनके हाथों से लोगों को पुरूस्कृत कराया जाये। कार्यक्रम के आयोजन पर होने वाला व्यय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की IEC मद से किया जायेगा।

जनपद स्तर पर एक वृहद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया जाये जिसके आयोजन का दायित्व जिला पंचायत राज अधिकारी, बिजनौर का होगा। इस कार्यक्रम में लगभग एक हजार ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, स्वच्छाग्रही, निगरानी समितियों, शैक्षणिक संस्थाऐं तथा अन्य स्टेक होल्डर प्रतिभाग करेंगें। कार्यक्रम में समस्त मा0 सांसद तथा मा0 विधायकगण को आमन्त्रित करने का दायित्व भी जिला पंचायत राज अधिकारी का होगा। कार्यक्रम में स्वच्छता के विभिन्न आयामों यथा O.D.F. Plus तथा O.D.F. Sustainability को दृश्य, श्रव्य माध्यमों से लोगों तक पहुँचाया जायेगा तथा स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले व्यक्ति/संस्थाओं को पुरूस्कृत किया जायेगा।

ह०
(अंकित कुमार अग्रवाल)
जिलाधिकारी
बिजनौर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।

पत्रांक 2901 /सात–पं0/स्व0भा0मि0(ग्रा0)फेज–2/2023–24 दिनांक : 27 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त महोदय मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक महोदय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) बिजनौर की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर।
4. उपनिदेशक महोदय(पं0) मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
5. समस्त सम्बन्धित जिलास्तरीय अधिकारी जनपद बिजनौर।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद बिजनौर।
7. समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0) जनपद बिजनौर।
8. समस्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान जनपद बिजनौर को अनुपालनार्थ।

27/9/23
जिलाधिकारी
बिजनौर।

63

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।

पत्रांकः 1558/सात–पं0/एस0बी0एम0/2023–24 दिनॉक–21 अगस्त 2023

1. **समस्त खण्ड विकास अधिकारी**
2. **समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0)**
   जनपद बिजनौर।

विषय :–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिगत निर्मित/सृजित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव/संचालन व अभिलेखीकरण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक महोदय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के पत्र संख्याः 5/1149/ 2023–5/35/2022 लखनऊ दिनॉक 07 अगस्त 2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)फेज–2 योजनान्तर्गत जनपद के समस्त गामों को ओ0डी0 एफ0 प्लस की मॉडल श्रेणी में ले जाना लक्षित है। ओ0डी0एफ0 प्लस अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाना प्रमुख घटक है। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्याः 1040/33–3–2021–116/2020 दिनॉक 22.06.2021 तथा पत्र संख्याः 4076/33–3–2023 दिनॉक 11.01.2023 के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के दृष्टिगत विस्तृत निर्देश दिये गये है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों में आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई–रिक्शा, वर्मी कम्पोस्टिग यूनिट, नाडेप/खाद गढढे, सार्वजनिक कचरा पात्र आदि कार्य निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित है।

2. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये चयनित ग्राम पंचायतों के लिये राज्य/जनपद स्तर से की जा रही समीक्षा एवं भ्रमण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये उपरोक्तानुसार सृजित परिसम्पत्तियों के समुचित संचालन/रखरखाव तथा विभिन्न प्रकार के अभिलेखीकरण में एक रूपता नही है।

3. ग्राम पंचायतों/ग्रामों को ओ0डी0एफ0 प्लस घोषित करने एवं स्थिरता के दृष्टिगत निर्मित करायी जा रही परिसम्पत्तियों मुख्यतः आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई–रिक्शा के संचालन/रख–रखाव एवं अभिलेखीकरण तथा इससे अपना व्यय भार स्वयं वहन करने हेतु सक्षम बनाने के लिये निम्नलिखित कियाविधि अपनाये जाने की आवश्यकता है:–

- ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर, दुकान, सार्वजनिक कचरा पात्रों, बाजार आदि से नियमित कचरे का एकत्रीकरण निर्धारित वाहन/ई–रिक्शा के माध्यम से किया जायेगा।
- कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई–रिक्शा का संचालन एवं घर–घर से कूड़ा संग्रहण का उत्तरदायित्व ग्रामों में तैनात सफाई कर्मचारी को दिया जाना उपयुक्त होगा। ऐसे ग्राम जहॉं सफाई कर्मी की तैनाती नही है, वहॉं ग्राम पंचायत में कार्यरत स्वयं सहायता समूंह अथवा आवश्यकतानुसार श्रमिक तैनात कर इस कार्य को किया जायेगा।
- आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शैड के समस्त कार्यो यथा–छटनी, कम्पोस्टिंग आदि के लिये स्वयं सहायता समूंह के चयन के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–1758 दिनॉक 15.07.2020 के द्वारा जिन स्वयं सहायता समूंहों को सामुदायिक शौचालयों के संचालन दायित्व सौपा गया है, प्राथमिकता पर उनका चयन उनकी सहमति से किया जाये। स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत अन्य स्वयं सहायता समूंह/ग्राम पंचायत में कार्यरत अन्य समूंह के माध्यम से कार्य कराया जा सकता है।
- छटनी के बाद जो बायोडिग्रेडेबल सामग्री गॉव में ही निस्तारित हो सकती है, ऐसी सामग्री को वर्मी कम्पोस्ट, खाद गढढा आदि के माध्यम से निस्तारण के लिय दायित्व निर्धारित किया जायेगा। जो सामग्री जैसे प्लास्टिक, लोहा, मेटल, कॉच आदि का

निस्तारण गॉव में नही हो सकता, उसे गॉव से ले जाने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह से भी समन्वय कर दायित्व सौपा जायेगा।

- पर्याप्त जनजागरूता फैलाकर प्रत्येक घर/दुकान से कूडा संग्रहण शुल्क लिया जायेगा। शुल्क के सापेक्ष उन्हें निर्धारित रसीद उपलब्ध करायी जायेगी। (रसीद का प्रारूप संलग्न)। आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड में छटनी के उपरान्त प्राप्त उपयोगी वस्तुऐं एवं अकार्बनिक कचरे यथा प्लास्टिक यथा प्लास्टिक, लोहा, मेटल, कांच आदि तथा कम्पोस्टिंग से तैयार खाद की बिकी के साथ–साथ प्राप्त उपभोक्ता शुल्क की धनराशि को ओ0एस0आर0 बैक खाते में जमा किया जायेगा तथा मासिक प्राप्तियों के अनुरूप श्रमिकों/स्वयं सहायता समूहो पर होने वाले व्यय का समायोजन किया जायेगा। जिन ग्राम पंचायतों उक्त गतिविधि से आवश्यकतानुसार आय का सृजन नही हो सकेगा, वहॉ यथावश्यक नियमानुसार वित्त आयोग/मनरेगा आदि की धनराशि से गतिविधियॉ संचालित की जायेगी।
- कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई–रिक्शा का रूट चार्ट, चालक का नाम, नम्बर तथा कचरा कलेक्शन का समय आदि ग्राम पंचायत के प्रत्येक मजरे, सार्वजनिक स्थानों तथा विशेषकर आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, पंचायत भवन पर वॉल पेन्टिग के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा तथा लिखित रूप से सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जायेगा। कचरा एकत्रीकरण की गतिविधियों यथा–रूट चार्ट के अनुसार कचरा संग्रहण, शुल्क संकलन आदि की नियमित रिकर्ड कीपिंग के लिये लॉग बुक/रजिस्ट्रर की व्यवस्था की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत पर तैनात सचिव ग्राम पंचायत एवं पंचायत सहायक का होगा।
- ग्राम पंचायत में कूड़ा संग्रहण में शिकायत अथवा मॉग हेतु एक नम्बर जारी किया जाये, जिस पर सामान्य जन फोन करके अकस्मिक/विशेष स्थिति की जानकारी दे सकें। इसका एक रजिस्ट्रर भी ग्राम पंचायत पर संरक्षित किया जायेगा तथा निस्तारण की स्थिति भी इस रजिस्टर में अंकित की जायेगी।
- ग्राम पंचायतों में कामर्शियल गतिविधियों एवं घरेलू स्तर पर कूड़ा संग्रहण हेतु पृथक–पृथक दरें ग्राम पंचायत की बैठक में निर्धारित की जा सकती है। शुल्क संकलन हेतु ग्राम पंचायतों में ओ0एस0 आर0 खाता के माध्यम से प्राप्त क्यू0आर0कोड का प्रयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। उचित होगा कि ओ0एस0आर0 खाते से सम्बन्धित क्यू0आर0 कोड को विशेष रूप से कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई–रिक्शा, आर0आर0सी0/वेस्ट संग्रीगेशन शेड, प्रत्येक मजरे, सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जाये।
- ग्राम पंचायतों में तैयार की जा रही वर्मी कम्पोस्टिंग आदि का क्रियान्वयन स्वयं सहायता समूह/श्रमिको/ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। इस हेतु किसानों से गोबर प्राप्त करने तथा वर्मी के विपणनादि की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा तय किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि ग्राम पंचायतें चाहें तो गोबर लेने के लिये शुल्क अथवा गोबर के बदले वर्मी कम्पोस्ट देने की भी व्यवस्था लागू कर सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि तैयार की जा रही वर्मी कम्पोस्ट/खाद का विपणन प्लास्टिक की थैलियों में न किया जाये।
- कचरा संग्रहण वाहन, आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड के संचालन में लगे कर्मियों के लिये हाईजीन किट यथा–एप्रेन, कैप, मास्क, सैनेटाईजर, बूट, इत्यादि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड में फर्स्ट ऐड किट एवं साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था की जायेगी।

- गॉव के बाहर प्लास्टिक, लोहा, मेटल, कॉच आदि जैसी वस्तुएं ले जाने वाली संस्था/व्यक्ति को ग्राम पचायत द्वारा प्रस्ताव कराकर आवद्ध किया जायेगा। इस हेतु ग्राम पचायत एवं उस व्यक्ति/संस्था के मध्य दरें एवं अन्य सुविधाओं की शर्तें स्पष्ट करते हुए एक अनुबन्ध किया जायेगा।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे कार्यो एवं कार्यरत कर्मियों के लिये दी जा रही सुविधाओं का विधिवत वॉल पेंटिग आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड पर की जायेगी।
- आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड एवं वाहन का नियमित अन्तराल पर मेंटेनेन्स कराया जायेगा।
- वित्तीय वर्ष के तृतीय त्रैमास से जनपद के समस्त आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड का संचालन एवं रख–रखाव के आधार पर रैकिंग की जायेगी। जिसके अनुरूप पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेंगे।
- गॉव में निरन्तर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जायेगा तथा क्या करे, क्या न करें से सम्बन्धित बिन्दुओं की वॉल राईटिंग/वॉल पेंटिग सुनिश्चित की जायेगी।
- हेजार्डस अपशिष्ट यथा–डायपर, सेनेट्री पैड, मेडिकल वेस्ट–जैसे पट्टी, प्रयोग की गई सिरिंज, अनुपयोगी दवायें, आदि को अलग एकत्रित किया जायेगा तथा उचित संस्था/व्यक्ति के माध्यम से निष्पादन की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद में निर्मित/निर्माणाधीन /प्रस्तावित समस्त आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड के सुचारू रूप से संचालन एवं रख–रखाव की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करे।

18.8.23

(उमेश मिश्रा)
जिलाधिकारी
बिजनौर।

पत्रांक /दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक महोदय, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर।
3. उपनिदेशक पचांयत मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को अनुश्रवण हेतु प्रेषित।
5. समस्त ग्राम प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्य प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करते हुए शतप्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करे।

जिलाधिकारी
बिजनौर।

- गॉव के बाहर प्लास्टिक, लोहा, मेटल, कॉच आदि जैसी वस्तुएं ले जाने वाली संस्था/व्यक्ति को ग्राम पचायत द्वारा प्रस्ताव कराकर आवद्ध किया जायेगा। इस हेतु ग्राम पचायत एवं उस व्यक्ति/संस्था के मध्य दरें एवं अन्य सुविधाओं की शर्तें स्पष्ट करते हुए एक अनुबन्ध किया जायेगा।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे कार्यो एवं कार्यरत कर्मियों के लिये दी जा रही सुविधाओं का विधिवत वॉल पेंटिग आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड पर की जायेगी।
- आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड एवं वाहन का नियमित अन्तराल पर मेंटेनेन्स कराया जायेगा।
- वित्तीय वर्ष के तृतीय त्रैमास से जनपद के समस्त आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड का संचालन एवं रख–रखाव के आधार पर रैकिंग की जायेगी। जिसके अनुरूप पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेंगे।
- गॉव में निरन्तर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जायेगा तथा क्या करे, क्या न करें से सम्बन्धित बिन्दुओं की वॉल राईटिंग/वॉल पेंटिग सुनिश्चित की जायेगी।
- हेजार्डस अपशिष्ट यथा–डायपर, सेनेट्री पैड, मेडिकल वेस्ट–जैसे पट्टी, प्रयोग की गई सिरिंज, अनुपयोगी दवायें, आदि को अलग एकत्रित किया जायेगा तथा उचित संस्था/व्यक्ति के माध्यम से निष्पादन की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद में निर्मित/निर्माणाधीन /प्रस्तावित समस्त आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड के सुचारू रूप से संचालन एवं रख–रखाव की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करे।

(उमेश मिश्रा)
जिलाधिकारी
बिजनौर।

पत्रांक 1538 /दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक महोदय, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर।
3. उपनिदेशक पचांयत मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर को अनुश्रवण हेतु प्रेषित।
5. समस्त ग्राम प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्य प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करते हुए शतप्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करे।

18.8.23
जिलाधिकारी
बिजनौर।

पत्रांक: 2544 /सात–पं0/सामु0शौ0 /2025–26

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।

दिनॉक– 17 सितम्बर, 2025

1.उपायुक्त, स्वत रोजगार बिजनौर
2.जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर
3.समस्त खण्ड विकास अधिकारी बिजनौर

विषय :–ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के समय से खोले जाने तथा केयर टेकर के मानदेय के नियमित भुगतान के सम्बन्ध में

उपर्युक्त विषयक श्री अनिल कुमार, प्रमुख सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–33–3099/199/2025–पंचायतीराज अनुभाग–3 दिनॉक 10.09.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन के संज्ञान में लाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक शौचालय समय से नही खोले जाते है। प्रायः सामुदायिक भवनों में ताला बन्द पाया जाता है। साथ ही यह भी शिकायतें प्राप्त हुई है कि सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकर को मानदेय का नियमित भुगतान नही किया जा रहा है।

पंचायती राज विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव एवं संचालन की व्यवस्था शासनादेश संख्या 179/33–3–2020–31/2019 दिनांक 15 जुलाई, 2020 के माध्यम से की गयी है। उक्त शासनादेश में सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव का कार्य दायित्व स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। भुगतान के सम्बन्ध में इस कार्य पर होने वाले पूरे वर्ष का व्यय अधिकतम 02 किस्तों में (वर्ष के प्रथम माह व 06 माह बाद) स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराने का प्राविधान है। पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित समय पर धनराशि स्वयं सहायता समूहों को दिये जाने के बाद भी केयर टेकर का भुगतान लम्बित रखा जाना आपत्ति जनक है।

स्वयं सहायता समूहों के गठन संचालन एवं अनुश्रवण आदि का दायित्व ग्रामीण आजीविका मिशन के विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से खुलवाने, उसकी साफ–सफाई एवं रख–रखाव की व्यवस्था, केयर टेकर्स की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जायें तथा ग्राम पंचायत द्वारा उनके स्वयं सहायता समूह को ससमय भुगतान किया जायें तथा समूह द्वारा भुगतान प्राप्त होने के 01 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार सम्बन्धित केयर टेकर के खाते में उनका मानदेय हस्तान्तरित कर दिया जायें। अन्यथा की दशा में उस समूह को दोषी मानते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही किया जायें।

मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण की व्यवस्था

मुख्यालय स्तर पर पंचायती राज निदेशालय में एक पोर्टल, सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव, केयर टेकर्स के मानदेय के ससमय भुगतान के प्रभावी अनुश्रवण हेतु विकसित किया जाये। जिसमें सामुदायिक शौचालय खोलने की साप्ताहिक फोटो, केयरटेकर के मानदेय का पूर्ण विवरण एवं निरीक्षण की व्यवस्था की रिपोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध करायी जाये। इस पोर्टल पर यह भी उल्लिखित हो कि फण्ड ट्रांसफर किस स्तर पर और कब हुआ। इस पोर्टल पर मिशन निदेशक महोदय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मिशन निदेशक महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मण्डलीय उपनिदेशक महोदय (पं0), जिला पंचायत राज अधिकारी एवं उपायुक्त (एन0आर0एल0एम0) की पहुँच होगी। पोर्टल पर सामुदायिक शौचालय के संबंध में शिकायत करने की भी व्यवस्था की जाए। मिशन निदेशक महोदय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से खुलवाने, उसकी साफ–सफाई एवं रख–रखाव की व्यवस्था, केयर टेकर्स की उपस्थिति एवं केयर टेकर्स के मानदेय के ससमय भुगतान की मॉनीटरिंग प्रतिमाह करे।

जनपद स्तर पर अनुश्रवण की व्यवस्था

जनपद स्तर पर भी सामुदायिक शौचायलों को नियमित रूप से खुलवाने, उसकी साफ–सफाई एवं रख–रखाव की व्यवस्था, केयरटेकर्स की उपस्थिति एवं केयरटेकर्स के मानदेय के ससमय भुगतान की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की बैठकों में किया जाय। जिला पंचायत राज अधिकारी एवं उपायुक्त (एन0आर0एल0एम0) इस तथ्य की पृथक–पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें कि ग्राम पंचायत द्वारा कितने समूहो का भुगतान किया जा चुका है और कहॉ–कहॉ भुगतान किया जाना अवशेष है, तथा समूह द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर संबंधित केयरटेकर्स का भुगतान किया गया है और कितने केयर टेकर्स का भुगतान अवशेष है। जिन ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह द्वारा सामुदायिक शौचालय के समय से खुलवाने, साफ–सफाई एवं रख–रखाव में कमी पाए जाने पर आवश्यकतानुसार उसी स्वयं सहायता समूह के अन्य केयर टेकर का या किसी अन्य स्वय सहायता समूह का चयन कर लिया जाय।

विकास खण्ड स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अनुश्रवण की व्यवस्था

विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी,सहायक विकास अधिकारी (पं0) एवं सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0) द्वारा सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से खुलवाने, उसकी साफ–सफाई एवं रख–रखाव की व्यवस्था, केयर टेकर्स की उपस्थिति एवं केयरटेकर्स के मानदेय के ससमय भुगतान का अनुश्रवण

पाक्षिक समीक्षा बैठक में करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर के मानदेय का भुगतान नियमानुसार ससमय हो जाय। यदि कोई समूह या केयर टेकर कार्य नही करती है तो यह सचिव की जिम्मेदारी होगी कि उक्त के संबंध में लिखित रूप से अवगत नही कराने एवं सामुदायिक शौचालय बन्द पाए जाने की स्थिति में या केयर टेकर द्वारा कार्य न करने की स्थिति में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ससमय समूह को धनराशि हस्तांतरित न करने पर ग्राम स्तर पर सचिव, ग्राम पंचायत जिम्मेदार होगा एवं जनपद स्तर पर यह जिम्मेदारी जिला पंचायत राज अधिकारी की होगी। समूह से केयरटेकर को भुगतान न होने की दशा में इसका पूर्ण उत्तरदायित्व, उपायुक्त (एन0आर0एल0एम0) का होगा एवं उन दोनों परिस्थितियों में विलम्ब होने पर जनपद स्तर पर जनपद स्तरीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(जसजीत कौर)
जिलाधिकारी
बिजनौर।

पत्रांक /दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- प्रमुख सचिव महोदय पंचायती राज उ0प्र0 शासन की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2- आयुक्त महोदय मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3- मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर।
4- उपनिदेशक, महोदय (पं0) मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
5- जिला विकास अधिकारी बिजनौर।
6- सहायक विकास अधिकारी (पं0) जनपद बिजनौर को अनुपालनार्थ प्रेषित।
7- समस्त ग्राम पंचायत सचिव जनपद बिजनौर को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
बिजनौर।

(अनुस्मारक पत्र)

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, बिजनौर।

पत्रांकः 4200/सात–पं0/एस0बी0एम0/2024–25 दिनॉक–26 दिसम्बर 2025

1. समस्त ग्राम प्रधान (ओ0डी0एफ0 प्लस हेतु चयनित ग्राम पंचायत)
2. समस्त ग्राम पंचायत सचिव (ओ0डी0एफ0 प्लस हेतु चयनित ग्राम पंचायत) द्वारा, समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0) जनपद बिजनौर।
3. समस्त खण्ड प्रेरक, एस0बी0एम0(जी)
4. समस्त कन्सल्टिंग इंजीनियर,
5. समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0) जनपद बिजनौर।

विषय :–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिगत निर्मित/सृजित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव/संचालन व अभिलेखीकरण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक महोदय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के पत्र संख्याः 5/1149/2023–5/35/2022 लखनऊ दिनॉक 07 अगस्त 2023 एवं जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्याः 1558/सात–पं0/एस0बी0एम0/2023–24 दिनॉक 21 अगस्त 2023 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)फेज–2 योजनान्तर्गत जनपद के समस्त गामों को ओ0डी0 एफ0 प्लस की मॉडल श्रेणी में ले जाना लक्षित है। ओ0डी0एफ0 प्लस अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाना प्रमुख घटक है। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्याः 1040/33–3–2021–116/2020 दिनॉक 22.06.2021 तथा पत्र संख्याः 4076/33–3–2023 दिनॉक 11.01.2023 के क्रम में अधाहस्ताक्षरी के पत्र संख्याः 3323/सात–पं0/एस0बी0एम0/2023–24 दिनॉक 19 जनवरी 2024 एवं पत्र संख्या–3807/सात–पं0/एस0बी0एम0/2024–25 दिनॉक 28 सितम्बर 2024 के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के दृष्टिगत विस्तृत निर्देश दिये गये है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिगत चयनित ग्राम पंचायतों में आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई–रिक्शा, वर्मी कम्पोस्टिग यूनिट, नाडेप/खाद गढढे, सार्वजनिक कचरा पात्र आदि कार्य निर्मित/निर्माणाधीन है।

1. वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 में चयनित ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्राम बनाये जाने हेतु ग्राम पंचायतों के कार्यों की राज्य/जनपद स्तर से की जा रही समीक्षा एवं भ्रमण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये उपरोक्तानुसार सृजित परिसम्पत्तियों के समुचित संचालन/रखरखाव तथा विभिन्न प्रकार के अभिलेखीकरण में एक रूपता नही है।

2. ग्राम पंचायतों/ग्रामों को ओ0डी0एफ0 प्लस घोषित करने एवं स्थिरता के दृष्टिगत निर्मित करायी जा रही परिसम्पत्तियों में मुख्यतः आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई–रिक्शा के माध्यम से संचालन नियमित रूप से कराया जाये, रख–रखाव, अभिलेखीकरण तथा इससे अपना व्यय भार स्वयं वहन करने हेतु सक्षम बनाने के लिये निम्नलिखित कियाविधि अपनाये जाने की आवश्यकता है:–

- ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर, दुकान, सार्वजनिक कचरा पात्रों, बाजार आदि से नियमित कचरे का एकत्रीकरण निर्धारित वाहन/ई–रिक्शा के माध्यम से किया जाये।
- कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई–रिक्शा का संचालन एवं घर–घर से कूडा संग्रहण का उत्तरदायित्व ग्रामों में तैनात सफाई कर्मचारी को दिया जाना उपयुक्त होगा। ऐसे ग्राम जहॉ सफाई कर्मी की तैनाती नही है, वहॉ ग्राम पंचायत में कार्यरत स्वयं सहायता समूह अथवा आवश्यकतानुसार श्रमिक तैनात कर इस कार्य को किया जाये।
- आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शैड के समस्त कार्यो यथा–छटनी, कम्पोस्टिंग आदि के लिये स्वयं सहायता समूह के चयन के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–1758 दिनॉक 15.07.2020 के द्वारा जिन स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक शौचालयों के संचालन दायित्व सौपा गया है, प्राथमिकता पर उनका चयन उनकी सहमति से किया जाये। स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत अन्य स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत में कार्यरत अन्य समूह के माध्यम से कार्य कराया जा सकता है।
- छटनी के बाद जो बायोडिग्रेडेबल सामग्री गॉव में ही निस्तारित हो सकती है, ऐसी सामग्री को वर्मी कम्पोस्ट, खाद गढढा आदि के माध्यम से निस्तारण के लिय दायित्व निर्धारित किया जाये। जो सामग्री जैसे प्लास्टिक, लोहा, मेटल, कॉच आदि का निस्तारण गॉव में नही हो सकता, उसे गॉव से ले जाने वाले व्यक्ति/कबाडी/संस्था/समूह से भी समन्वय कर दायित्व सौपा जाये।

DPC LETTER NEW 25-26 - 141

- पर्याप्त जनजागरूता फैलाकर प्रत्येक घर/दुकान से कूडा संग्रहण शुल्क लिया जाये। शुल्क के सापेक्ष उन्हें निर्धारित रसीद उपलब्ध करायी जायेगी। (रसीद का प्रारूप संलग्न)। आर0आर0सी0 /वेस्ट सेग्रीगेशन शेड में छटनी के उपरान्त प्राप्त उपयोगी वस्तुऐं एवं अकार्बनिक कचरे यथा प्लास्टिक यथा प्लास्टिक, लोहा, मेटल, कांच आदि तथा कम्पोस्टिंग से तैयार खाद की बिकी के साथ-साथ प्राप्त उपभोक्ता शुल्क की धनराशि को ओ0एस0आर0 बैक खाते में जमा किया जाये तथा मासिक प्राप्तियों के अनुरूप श्रमिकों/स्वयं सहायता समूहो पर होने वाले व्यय का समायोजन किया जाये। जिन ग्राम पंचायतों उक्त गतिविधि से आवश्यकतानुसार आय का सृजन नही हो सकेगा, वहॉ यथावश्यक नियमानुसार वित्त आयोग/मनरेगा आदि की धनराशि से गतिविधियॉ संचालित की जायेगी।
- कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई-रिक्शा का रूट चार्ट, चालक का नाम, नम्बर तथा कचरा कलेक्शन का समय आदि ग्राम पंचायत के प्रत्येक मजरे, सार्वजनिक स्थानों तथा विशेषकर आर0आर0सी0 /वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, पंचायत भवन पर वॉल पेन्टिग के माध्यम से प्रदर्शित किया जाये तथा लिखित रूप से सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जाये। कचरा एकत्रीकरण की गतिविधियों यथा-रूट चार्ट के अनुसार कचरा संग्रहण, शुल्क संकलन आदि की नियमित रिकर्ड कीपिंग के लिये लॉग बुक/रजिस्ट्रर की व्यवस्था की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत पर तैनात सचिव ग्राम पंचायत एवं पंचायत सहायक का होगा।
- ग्राम पंचायत में कूड़ा संग्रहण में शिकायत अथवा मॉग हेतु एक नम्बर जारी किया जाये, जिस पर सामान्य जन फोन करके अकस्मिक/विशेष स्थिति की जानकारी दे सकें। इसका एक रजिस्ट्रर भी ग्राम पंचायत पर संरक्षित किया जाये तथा निस्तारण की स्थिति भी इस रजिस्टर में अंकित की जायेगी।
- ग्राम पंचायतों में कामर्शियल गतिविधियों एवं घरेलू स्तर पर कूड़ा संग्रहण हेतु पृथक-पृथक दरें ग्राम पंचायत की बैठक में निर्धारित की जा सकती है। शुल्क संकलन हेतु ग्राम पंचायतों में ओ0एस0 आर0 खाता के माध्यम से प्राप्त क्यू0आर0कोड का प्रयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जाये। उचित होगा कि ओ0एस0आर0 खाते से सम्बन्धित क्यू0आर0 कोड को विशेष रूप से कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई-रिक्शा, आर0आर0सी0/वेस्ट संग्रीगेशन शेड, प्रत्येक मजरे, सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जाये।
- ग्राम पंचायतों में तैयार की जा रही वर्मी कम्पोस्टिंग आदि का क्रियान्वयन स्वयं सहायता समूह/श्रमिको/ग्राम पंचायत द्वारा किया जाये। इस हेतु किसानों से गोबर प्राप्त करने तथा वर्मी के विपणनादि की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा तय किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि ग्राम पंचायतें चाहें तो गोबर लेने के लिये शुल्क अथवा गोबर के बदले वर्मी कम्पोस्ट देने की भी व्यवस्था लागू कर सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि तैयार की जा रही वर्मी कम्पोस्ट/खाद का विपणन प्लास्टिक की थैलियों में न किया जाये।
- कचरा संग्रहण वाहन, आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड के संचालन में लगे कर्मियों के लिये हाईजीन किट यथा-एप्रेन, कैप, मास्क, सैनेटाईजर, बूट, इत्यादि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड में फर्स्ट ऐड किट एवं साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था की जायेगी।
- गॉव के बाहर प्लास्टिक, लोहा, मेटल, कॉच आदि जैसी वस्तुएं ले जाने वाली संस्था/व्यक्ति को ग्राम पचायत द्वारा प्रस्ताव कराकर आबद्ध किया जाये। इस हेतु ग्राम पचायत एवं उस व्यक्ति/संस्था के मध्य दरें एवं अन्य सुविधाओं की शर्ते स्पष्ट करते हुए एक अनुबन्ध किया जाये।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे कार्यो एवं कार्यरत कर्मियों के लिये दी जा रही सुविधाओं का विधिवत वॉल पेंटिग आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड पर की जायेगी।
- आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड एवं वाहन का नियमित अन्तराल पर मेंटेनेन्स कराया जाये।
- वित्तीय वर्ष के तृतीय त्रैमास से जनपद के समस्त आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड का संचालन एवं रख-रखाव के आधार पर रैकिंग की जायेगी। जिसके अनुरूप पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

- गॉव में निरन्तर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाये तथा क्या करे, क्या न करें से सम्बन्धित बिन्दुओं की वॉल राईटिंग/वॉल पेंटिग सुनिश्चित की जायेगी।
- हेजार्डस अपशिष्ट यथा–डायपर, सेनेट्री पैड, मेडिकल वेस्ट–जैसे पट्टी, प्रयोग की गई सिरिंज, अनुपयोगी दवायें, आदि को अलग एकत्रित किया जाये तथा उचित संस्था/व्यक्ति के माध्यम से निष्पादन की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद में निर्मित/निर्माणाधीन/समस्त आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्राम बनाये जाने हेतु समस्त परिसम्पत्तियों को सुचारू रूप से संचालन एवं रख–रखाव की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करे। यदि ग्राम पंचायतों में भ्रमण के समय उपरोक्त आदेश का किसी भी स्तर पर विचलन पाया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

26/12/25
(छबि नाथ सोनकर)
जिला पंचायत राज अधिकारी
बिजनौर।

पत्रांक 4200 /दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी महोदय बिजनौर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय बिजनौर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. उप निदेशक(पं0) महोदय, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद बिजनौर।

26/12/25
जिला पंचायत राज अधिकारी
बिजनौर।

- गॉव में निरन्तर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाये तथा क्या करे, क्या न करें से सम्बन्धित बिन्दुओं की वॉल राईटिंग/वॉल पेंटिग सुनिश्चित की जायेगी।
- हेजार्डस अपशिष्ट यथा–डायपर, सेनेट्री पैड, मेडिकल वेस्ट–जैसे पट्टी, प्रयोग की गई सिरिंज, अनुपयोगी दवायें, आदि को अलग एकत्रित किया जाये तथा उचित संस्था/व्यक्ति के माध्यम से निष्पादन की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद में निर्मित/निर्माणाधीन/समस्त आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्राम बनाये जाने हेतु समस्त परिसम्मपत्तियों को सुचारू रूप से संचालन एवं रख–रखाव की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करे। यदि ग्राम पंचायतों में भ्रमण के समय उपरोक्त आदेश का किसी भी स्तर पर विचलन पाया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(छबि नाथ सोनकर)
जिला पंचायत राज अधिकारी
बिजनौर।

पत्रांक 4209 /दिनांक उक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी महोदय बिजनौर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय बिजनौर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. उप निदेशक(पं0) महोदय, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद बिजनौर।

26/12/25
जिला पंचायत राज अधिकारी
बिजनौर।